तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5123/2004/भरतपुर सरकार बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय – राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>एकलपीठ</u>

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री शंकरलाल जाट, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री मुकेश जैन, श्री एस.एस.सिद्ध, श्री जे.के. पारीक विद्धान अधिवक्तागण, अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 06.12.2023

यह रेफरेन्स जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 18–12–2003 से राजस्व मण्डल में प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी तहसीलदार, भरतपुर भूमिधारी द्वारा यह प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अप्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के हक में स्वीकृत नामांतकरण संख्या 946 बाबत आराजी खसरा नं0 2484/4–02, 2485/3–14, 2486/2–04, 2487/2–00, 2491/2–15, 2492/1–17, 2493/1–07, 2494/4–11, 2495/0–07, 2496/0–08, 2507/0–09, 2508/2–17, 2509/1–03, 2978/10–10, 3019/11–15 किता– 15 रकबा 50 बीघा बाकै कस्बा, भरतपुर चक नं 03 को निरस्त कराने एवं उसके बाद स्वीकृत अन्य नामांतकरण एवं इन्द्राजात विवादित आराजीयात को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थनापत्र को दर्ज करने के उपरांत बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 18–12–2003 से यह रेफरेन्स मंडल के समक्ष पेश किया है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने रेफरेंस में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस की है कि उक्त जमीन अस्थाई तौर पर दी गई थी जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(2) से बाधित है इसलिए उक्त आराजी की खातेदारी तहसीलदार द्वारा नहीं दी जा सकती इसलिए रेफरेंस स्वीकार किया जावे।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5123/2004/भरतपुर सरकार बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई बहस की पुनरावृति करते हुए कथन किया है कि उक्त खरीदशुदा जमीन है और जरिए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र खरीद की है। रेफरेंस देरी से पेश किया है जिसका कोई आधार नहीं है, इसलिए रेफरेंस खारिज किया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार भरतपुर भूमिधारी द्वारा निर्णय के पैरा नंबर– 1 में वर्णित आराजी के बारे में स्वीकृत नामांकतरण रद्द करने हेतु आवेदन पेश किया और विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा राजकीय अधिवक्ता और अप्रार्थी की संख्या– 1, 12, 13, 14 को विस्तृत रूप से सुना गया और सुनने के पश्चात् रेफरेंस में कोई नियत की अवधि नहीं होने का उल्लेख करते हुए रेफरेंस आवेदन स्वीकार किया और रेफरेंस में यह भी उल्लेख किया कि अस्थाई रूप से दी गई आराजी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते और ना ही तहसीलदार को आवंटन करने का अधिकार है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 15(2) के तहत विवादित भूमि तहसीलदार द्वारा आवंटन योग्य नही है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में विस्तृत विवेचन करते हुए निम्न तथ्य उल्लेख किए जिनका उल्लेखित किया जाना उचित है–

‘‘हमने राजकीय अभिभाषक तथा अभिभाषक आर्थीगण के कथनों पर गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। नामान्तकरण सं. 946 की नकल के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी किता–15 रकबा 50 बीघा पर अप्रार्थी संख्या एक को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत एक्ससोल्जर से खातेदारी दिनांक 13–06–62 को तहसीलदार, भरतपुर द्वारा प्रदान की गई है। प्रार्थी के द्वारा विवादित आराजीयात अप्रार्थी संख्या एक अस्थाई रूप से दिया जाना अंकित किया गया है अर्थात विवादित आराजीयात के विधिवत पट्टा/आवंटन किये जाने से प्रार्थी (भूमिधारी) के द्वारा इन्कार किया गया है। अप्रार्थी के द्वारा भी हमारे समझ ऐसा कोई साक्ष्य/ प्रमाण प्रस्तुत नही किया गया है, जो विवादित आराजीयात का विधिवत पट्टा/आवंटन होना प्रमाणित माना सके। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी के अभिभाषक का यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं रहता है कि विवादित आराजीयात पर खातेदारी उसको विधिसम्मत प्रदान की गई। राजकीय अभिभाषक के इस कथन से हम सहमत है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत तहसीलदार को कोई खातेदारी देने के अधिकार नहीं था। अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा भी हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रमाण साक्ष्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5123/2004/भरतपुर सरकार बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख
	प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अप्रार्थी संख्या एक को तहसीलदार, भरतपुर द्वारा जरिये ना. क. सं. 946 से प्रदान खातेदारी को सही होना विधिसम्मत माना जा सके। इसके अतिरिक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(2) के तहत अस्थाई काश्त/पट्टा पर की गई भूमियों पर खातेदारी दिया जाना वर्जित रहता है। तहसीलदार द्वारा प्रदान की गई खातेदारी अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध ही रहती है। अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह कथन भी स्वीकार योग्य नही रहता है कि विवादित आराजीयात कृषि भूमि न होकर वर्तमान में आबादी है, क्योंकि स्वयं अप्रार्थीगण के द्वारा अपने जबाब में कृषि भूमि को बचान कर देना स्वीकार किया गया है। अभिभाषक अप्रार्थीगण को यह कथन भी स्वीकार योग्य नहीं रहता है कि प्रस्तुत रेफरेन्स म्याद बाहर प्रस्तुत किया गया है क्योकि रेफरेन्स हेतु कोई समयावधि निधारित नहीं है। अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध स्वीकृत नामान्तरकरण को किसी भी स्टेज पर निरस्त कराया कराया जा सकता है। राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को से हम सहमत है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी संख्या –11 के द्वारा प्रस्तुत जबाब से विवादित आराजीयात कृषि / अकृषि होना भी प्रमाणित रहता है। राजकीय अभिभाषक के इस तर्क से भी हम सहमत है कि जब मूल खातेदारी ही अधिकार क्षेत्र के बाहर एवं प्रचलित कानून के प्रावधानों के विरुद्ध प्रदान की गई है तो उसके बाद स्वीकृत अन्य नामांतकरण भी अवैध एवं शून्य ही रहते है। अभिभाषक अप्रार्थी के द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि अप्रार्थी संख्या एक को तहसीलदार, भरतपुर द्वारा प्रदान की गई खातेदारी की कानून सम्मत होना माना जा सके और अंत में उक्त रेफरेंस को मंडल हाज के समक्ष भेजा है।'' मौजूदा प्रकरण में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि कोई भी जमीन धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत ही आवंटित की जा सकती है और मौजूदा प्रकरण में विवादित भूमि धारा 15(2) मे यह आवंटन होने से बाधित है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15(2) के प्रावधान निम्न प्रकार है– ''उप–धारा (1) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए, तदन्तर्गत खातेदारी अधिकार ऐसे किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत नहीं होंगे जिसे राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व ''अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन'' को अग्रसर करते हुए या किसी विशेष आदेश के अन्तर्गत, या किन्हीं निर्दिष्ट भूमि में, जो उपरोक्त रीति से लीज पर दी गई हो, कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे अथवा कभी प्रोद्भूत हुए नहीं समझे जायेंगे।'' और धारा 82 भू राजस्व अधिनियम के अनुसार रेफरेंस पेश करने की कोई निश्चित अवधि नहीं है केवल मात्र जिलाधीश अथवा अतिरिक्त	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5123/2004/भरतपुर सरकार बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख

जिला कलक्टर को अपनी राय के सहित मामला मंडल को भेजना होता है और इस प्रकरण में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा संपूर्ण तथ्यों का विवेचन करते हुए यह रेफरेंस यहां पेश किया गया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि इस प्रकरण में दीवानी वाद संख्या– 142/91 मनोहर लाल बनाम राजवीर वगैराह व अन्य का निर्णय दिनांक 02–06–1992 की प्रति संलग्न हैं जिसमें आराजी खसरा नंबर 2491 से 2496 मे वादी को स्वामी घोषित किया है लेकिन उक्त निर्णय में राज्य सरकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है और दोनों ही प्राइवेट पक्षकार हैं और उनके आपसी विवाद का निर्णय किया गया है। उक्त निर्णय अंतिम हो गया हो इस बारे में भी कोई साक्ष्य नहीं है जब राज्य सरकार इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है तो उक्त निर्णय राज्य सरकार पर बाध्यकारी भी नहीं रहता है और अप्रार्थीगण को इस निर्णय से कोई सहायता इस रेफरेंस के निस्तारण के समय प्राप्त नहीं होती है। अतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के परिपेक्ष्य में उक्त रेफरेंस स्वीकार किए जाने योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 15 के तहत जब भूमि आवंटन योग्य ही नहीं है तो तत्कालीन तहसीलदार ने आवंटन क्यों किया? कार्यकारी अधिकारी का यह दायित्व है कि वह विधि के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करें। सरकार की ओर से नियुक्त कोई भी अधिकारी मनमाना आवंटन नहीं कर सकता और राजस्व अधिकारी की यह धारणा भी नहीं होनी चाहिए कि एक बार तो मैं कर देता हूॅ बाद में उसकी अपील होगी जब तक बहुत समय गुजर जायेगा और उस गलती को ठीक करने पर जमीन का भी वास्तविक वजूद नहीं रह जायेगा। इस प्रकार की सोच गलत परम्परा व विधि विरूद्ध कार्य करने की प्रवृति को बढावा देती है। जो समव्यवहार प्रारम्भ से ही शून्य है तो उस शून्य समव्यवहर के आधार पर आगे किये गये समव्यवहार भी शून्य की श्रेणी में आते है, भले ही केता सद्भावी हो लेकिन जिस व्यक्ति के पास जो अधिकार नहीं है वह अधिकार दूसरे को प्रदत्त नहीं कर सकता, यह कानून का सामान्य सिद्धान्त है और इस प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अधिकारों से परे जाकर धारा 15(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लघन करते हुए आवंटन किया गया है तो उस तहसीलदार के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना यथोचित है। इसलिए कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार को निर्देश दिये जाते है कि वह इस सम्बन्ध में तत्कालीन तहसीलदार को नामित करते हुए और उसे सुनवाई का मौका देते हुए उसके विरूद्ध आगामी कार्यवाही की जावे, जिससे अधिकारों से बाहर जाकर कार्य करने की प्रवृति पर अकुश लगाया जा सकें।

परिणामस्वरूप राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत यह रेफरेन्स स्वीकार किया

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5123/2004/भरतपुर सरकार बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख
	जाकर विवादित आराजी खसरा नं0 2484/4–02, 2485/3–14, 2486/2–04, 2487/2–00, 2491/ 2–15, 2492/1–17, 2493/1–07, 2494/4–11, 2495/0–07, 2496/0–08, 2507/0–09, 2508/2–17, 2509/1–03, 2978/10–10, 3019/11–15 किता– 15 रकबा 50 बीघा बाकै कस्बा, भरतपुर चक नं 03 से अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त की जाती है तथा अप्रार्थीगण के खाते में अंकित उक्त विवादग्रस्त आराजी को पूर्व राजस्व रिकार्ड अनुसार बिला नाम सरकार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की एक प्रति कार्मिक विभाग, जयपुर को भी भेजी जावे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख अविलम्ब भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज रेफरेन्स/एल.आर./5123/2004/भरतपुर सरकार बनाम मनोहरलाल	नम्बर व तारीख